

क्रम संख्या— 121(क)
संख्या—यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009—11

पंजीकृत



सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाषित

असाधारण

विधायी परिषिश्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 20 जुलाई, 2009 ई०

आशाढ़ 29, 1931 षक सम्बत्

उत्तराखण्ड षासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 258 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2009

देहरादून, 20 जुलाई, 2009

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिशद् विधेयक, 2009 को दिनांक 17 जुलाई, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2009 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिशद् अधिनियम, 2009

{अधिनियम सं० ०६ वर्ष 2009}

परा चिकित्सा परिशद् के गठन, चिकित्सा की विकास के लिए ऐसी विकास के मानकों को विनियमित करने और अनुरक्षण करने की दृष्टि से परा चिकित्सकों का रजिस्टर रखने और उसमें संसक्त या आनुशंगिक विशयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत के गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

अध्याय-१

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	<p>1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिशद् अधिनियम, 2009 है।</p> <p>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।</p> <p>(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।</p>
परिभाशाएं	<p>2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अपेक्षित न हो :-</p> <p>(क) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाषित अधिसूचना अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) “आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला” से ऐसी प्रयोगशाला अभिप्रेत है, जो अहित तकनीकी व्यक्तियों द्वारा नैदानिक, उपचारार्थ और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए चलाई जा रही है;</p> <p>(ग) “तकनीषियन” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम रजिस्टर में अंकित है;</p> <p>(घ) “निधि” से धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिशद् की निधि अभिप्रेत है;</p> <p>(ङ) “परिशद्” से धारा 3 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिशद् अभिप्रेत है;</p> <p>(च) “परा-चिकित्सा विषय” से विकास अनुसंधान या प्रणिक्षण के कार्यक्रम या क्षेत्र अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार यथारिति, परा-चिकित्सा परिशद् के परामर्श से अधिसूचना द्वारा आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला, प्रौद्योगिकी या विकिरण निदान या विकिरण चिकित्सा या नाभिकीय चिकित्सा या भौतिकी चिकित्सा की विद्या घोषित करे;</p> <p>(छ) “परा-चिकित्सा व्यवसायी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज हो;</p> <p>(ज) “परा-चिकित्सा विशय” से ऐसे विशय अभिप्रेत है, जिन्हें विनियमों द्वारा विहित किया जाय;</p> <p>(झ) “परा-चिकित्सा अर्हता” से ऐसी अर्हता अभिप्रेत है, जिन्हें विनियमों में विहित किया जाय;</p> <p>(ज) “भौतिक चिकित्सा” से भौतिक कारकों के माध्यम से, इसके अन्तर्गत ताप, धीत, प्रकाष, जल मालिष, किसी व्यक्ति को निःष्करता के निवारण या सुधार करने के उद्देश्य से विद्युत या परीरिक व्यायाम भी है, चिकित्सीय रूप से निर्देशित चिकित्सा अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत व्यवसायिक चिकित्सा भी है;</p> <p>(ट) “मजिस्ट्रेट” से प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;</p> <p>(ठ) “मुख्य कार्यपालक अधिकारी” से धारा 16 में नियुक्त सचिव/रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;</p> <p>(ड) “रजिस्टर” से धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रखा गया रजिस्टर अभिप्रेत है;</p> <p>(ढ) “विष्वविद्यालय” से विष्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन परिभाशित राज्य में स्थित किसी विष्वविद्यालय से (केन्द्रीय विष्वविद्यालय को छोड़कर)</p>

		<p>अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य में स्थित कोई संस्था भी है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सम विष्वविद्यालय घोशित किया गया है;</p>
		<p>(ग) "विकिरण निदान" से आयनकारी विकिरण (एक्सरे) अन्तर्वर्लित करते हुए सभी प्रकार की नैदानिक क्रियाविधियां अभिप्रेत हैं;</p> <p>(घ) "विकिरण चिकित्सा" से सील किया हुआ आयनकारी विकिरण स्रोतों को अन्तर्वर्लित करते हुए किसी प्रकार की उपचारार्थ किया विधि अभिप्रेत है;</p> <p>(ङ) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;</p> <p>(द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;</p> <p>(ध) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;</p> <p>(न) "सदस्य" से परिशद् का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी है;</p> <p>(प) "संस्था" से कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, जो इस अधिनियम के अधीन विष्वा प्रदान करने के लिए विधि द्वारा स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त हो;</p> <p>(फ) "समिति" से धारा 13 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।</p>
		<p style="text-align: center;">अध्याय-2 उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिशद् और अन्य समितियां</p>
परिशद् का गठन	3.	<p>(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिशद् का गठन करेगी।</p> <p>(2) उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिशद् एक निगमित निकाय होगी, जिसका षाष्ठ्य उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसको जंगम और स्थावर सम्पत्ति को अर्जित करने, धारित करने और उसका निपटारा करने तथा संविदा करने की षक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।</p> <p>(3) परिशद् का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनियित किया जाए।</p> <p>(4) परिशद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी; अर्थात् :-</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा परिशद् के सदस्यों में से, नियुक्त किया जाय; (ख) उपाध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा परिशद् के सदस्यों में से नियुक्त किया जाय; (ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अपर निदेशक स्तर का एक अधिकारी, जो परा-चिकित्सा से सम्बन्धित होगा; (घ) राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग का एक ऐसा अधिकारी, जो उपसचिव के स्तर से न्यून न हो; (ङ) राज्य सरकार का वित्त विभाग का एक ऐसा अधिकारी, जो उपसचिव के स्तर से न्यून न हो; (च) राज्य सरकार का चिकित्सा विभाग का एक सदस्य, जो उपसचिव के स्तर से न्यून न हो; (छ) तीन सदस्य, जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएँ :-

		<p>(एक) उत्तराखण्ड विद्यालयी पिक्षा परिशद्;</p> <p>(दो) उत्तराखण्ड तकनीकी पिक्षा परिशद्, और</p> <p>(तीन) उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिशद्;</p> <p>(ज) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परा-चिकित्सा संस्थाओं के अध्यापकों में से राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले चार सदस्य;</p> <p>(झ) परा-चिकित्सा पिक्षा संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने वाले प्रत्येक विष्वविद्यालय द्वारा नामित एक-एक सदस्य;</p> <p>(ञ) राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं राज्य के आयुर्विज्ञान के मेडिकल प्रैक्टिसनर्स में से राज्य सरकार द्वारा नामित चार सदस्य, जो परा-चिकित्सा विशय के ज्ञाता हों;</p> <p>(ट) पंजीकृत परा-चिकित्सा व्यवसायियों में से पांच सदस्य, जो आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोद्योगिकी, चिकित्सा प्रोद्योगिकी, भौतिक चिकित्सा व्यवसाय से हो, प्रत्येक से न्यूनतम एक निर्वाचित सदस्य :</p> <p style="padding-left: 20px;">परन्तु यह कि अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम बार परिशद् का गठन होने की दृष्टि में इस प्रवर्ग के अन्तर्गत सदस्यों को, राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।</p>
पदावधि और आकस्मिक रिक्ति	4	<p>(1) परिशद् का कोई सदस्य, उसकी नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा।</p> <p>(2) किसी सदस्य का पद रिक्त हुआ समझा जायेगा, यदि परिशद् की राय में वह परिशद् के तीन लगातार सामान्य बैठकों में बिना पर्याप्त कारणों के अनुपस्थित रहा है या वह धारा 5 के अधीन सदस्य नहीं रह जाता है।</p> <p>(3) परिशद् में कोई आकस्मिक रिक्त नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी और रिक्त को भरने के लिए इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति केवल उस सदस्य की षेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ है।</p> <p>(4) परिशद् का कोई सदस्य पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।</p>
सदस्यता की समाप्ति	5.	<p>(1) धारा 3 की उपधारा (ग) से (ञ) तक के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित / नियुक्त कोई सदस्य उसकी उस सेवा समाप्त होने पर, जिसके कारण वह नियुक्त किया गया था, परिशद् का सदस्य नहीं रहेगा।</p> <p>(2) धारा 3 की उपधारा (ग) के खण्ड (ट) के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य रजिस्टर से उसका नाम हटाए जाने पर परिशद् का सदस्य नहीं रहेगा।</p>
सदस्य द्वारा त्याग-पत्र	6.	<p>सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा (ग) के खण्ड (क), (ख) और (छ) से (ट) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर से अपनी सदस्यता से किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकेगा :</p> <p style="padding-left: 20px;">परन्तु यह कि ऐसा सदस्य, जिसने इस धारा के अधीन अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया है, तब तक परिशद् का पद धारण करता रहेगा, जब तक राज्य सरकार द्वारा उसका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता।</p>
सदस्यता से हटाया जाना और रिक्ति	7.	<p>(1) परिशद् उपधारा (ग) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा किसी समय</p>

		<p>राज्य सरकार को किसी सदस्य को उसके पद से हटाए जाने की सिफारिष कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से परिशद् में उस सदस्य का बना रहना लोक हित में नहीं है या उक्त व्यक्ति परिशद् के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का विनिष्चय अन्तिम होगा।</p> <p>(2) राज्य सरकार, परिशद् के किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह—</p>
		<p>(क) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोश ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता, अन्तवर्लित हो; या</p> <p>(ख) सक्षम न्यायालय द्वारा अनुमोदि दिवालिया घोषित किया गया है, या</p> <p>(ग) विकृतचित्त का हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या</p> <p>(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने के लिए असमर्थ हो गया है; या</p> <p>(ड) परिशद् के लगातार तीन बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहा है; या</p> <p>(च) उसने, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बना रहना लोक हित के प्रतिकूल होगा; या</p> <p>(छ) धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) के अधीन चयनित सदस्य का नाम रजिस्टर से निकाल दिया गया हो :</p> <p style="text-align: center;">परन्तु यह कि कोई व्यक्ति उपधारा (2) के खण्ड (घ), खण्ड (ड) तथा खण्ड (च) के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा, जब तक सदस्यों को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।</p>
परिशद् की बैठक	8.	<p>(1) परिशद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और वह अपनी बैठकों के कारबाह के संबंधवहार के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का, जिसके अन्तर्गत बैठकों में गणपूर्ति भी है, अनुपालन करेगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये :</p> <p style="text-align: center;">परन्तु यह कि परिशद् एक वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी।</p> <p>(2) परिशद् का अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा।</p> <p>(3) यदि किसी कारण से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, परिशद् की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई अन्य सदस्य इस बैठक की अध्यक्षता करेगा।</p> <p>(4) ऐसे सभी प्रबन्ध, जो परिशद् की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिष्चित किए जायेंगे और बराबर मत होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय और निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।</p>
रिक्ति आदि परिशद् की कार्रवाईयों को अविधिमान्य करेगी	9.	<p>परिशद् का कोई कार्य या कार्रवाई :-</p> <p>(क) परिशद् में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि; या</p> <p>(ख) परिशद् में उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि; या</p> <p>(ग) परिशद् की प्रक्रिया में मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालने वाली किसी अनियमितता के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।</p>

बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही की वैधता	<p>10. (1) परिशद् की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त गोपनीय होगा एवं कोई भी व्यक्ति परिशद् के पूर्व संकल्प के बिना बैठक की कार्यवाही अथवा उसके अंष को प्रकट नहीं करेगा :</p> <p>परन्तु यह कि कोई व्यक्ति परिशद् की बैठक के उन निर्णयों को प्रकट अथवा प्रकाशित कर सकेगा, जिसके लिए परिशद् द्वारा संकल्प लिया जा चुका है एवं यदि परिशद् के किसी संकल्प द्वारा प्रकाशन को सर्वथा गोपनीय रखने का संकलप न लिया गया हो।</p>
	<p>(2) किसी भी व्यक्ति द्वारा परिशद् की सदस्यता अथवा अध्यक्षता अथवा किसी बैठक के पीठासीन अधिकारी की हैसियत से किए गए कार्य, उनके चुनाव अथवा नामांकन के दोष अथवा निरहता के कारण समाप्त नहीं होगी अथवा परिशद् के उन बैठकों की कार्यवाही, जिसमें उनके द्वारा अध्यक्षता की गई हो, भी वांछित नहीं होगी, यदि बैठक के निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए गए हों।</p> <p>(3) जब परिशद् का कोई पद रिक्त हो तो परिशद् के निरन्तर बने सदस्य इस प्रकार कार्य करेंगे, जैसे कि वह रिक्त घटित न हुई हो।</p> <p>(4) परिशद् द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर मात्र इस आषय से प्रजाचिन्ह नहीं लगाया जा सकेगा कि उसमें कोई रिक्त रह गई हो अथवा परिशद् के गठन में किसी प्रकार दोष हो।</p> <p>(5) परिशद् के प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तिका में अभिलिखित किए जायेंगे, जिसमें उपस्थित परिशद् के सदस्यों के नाम, कार्यवृत्त दर्ज किए जायेंगे और उसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसी या ठीक आगामी बैठक में पुश्टिकरण के लिए हस्ताक्षर किए जायेंगे।</p> <p>(6) जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, बैठक के कार्यवृत्त पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हस्ताक्षर कर दिए गए हों परिशद् की बैठक सम्यक रूप से बुलाई गई समझी जायेगी।</p>
परिशद् के सदस्यों के भत्ते	<p>11. परिशद् के सदस्यों को ऐसी यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे, जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाए :</p> <p>परन्तु यह कि परिशद् के सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी हों, ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।</p>
विषिष्ट प्रयोजनों के लिए परिशद् के साथ व्यक्तियों को सहयोजित करने की पवित्रता	<p>12. (1) परिशद्, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, अपने साथ ऐसे व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह, वह इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित समझे, सहयोजित कर सकेंगे।</p> <p>(2) किसी प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन परिशद् के साथ सहयोजित कोई व्यक्ति उस प्रयोजन के लिए सुसंगत किसी चर्चा में भाग लेने का अधिकार रखेगा, किन्तु उसे परिशद् की किसी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।</p> <p>(3) सहयोजित व्यक्ति, ऐसे भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, जैसे विनियमों द्वारा अवधारित किए जायें।</p>
परिशद् की समितियाँ	<p>13. (1) परिशद्, यथासम्भव ऐसी अपने सदस्यों में ऐसे साधारण और विषिष्ट प्रयोजनों के लिए, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे, ऐसी कार्यपालक समिति, अनुशासन समिति या किसी अन्य समिति का गठन करेगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।</p> <p>(2) किसी समिति का गठन, कार्यकाल और कृत्य ऐसे होंगे, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाए।</p>

		(3) इस धारा के अधीन गठित प्रत्येक समिति अपने अध्यक्ष का चयन करेगी: परन्तु यह कि – (क) जहां अध्यक्ष ऐसी समिति का सदस्य है, वहां वह ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि वह ऐसी समिति का सदस्य है, उसका अध्यक्ष होगा और दोनों की अनुपस्थिति में उस समिति के सदस्यों द्वारा चयनित कोई सदस्य उसका अध्यक्ष होगा;
		(ख) जहां अध्यक्ष, ऐसी समिति का सदस्य नहीं है किन्तु उपाध्यक्ष सदस्य है, वहां वह उसका अध्यक्ष होगा और उसकी अनुपस्थिति में उस समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य उसका अध्यक्ष होगा।
परिशद के कृत्य	14.	(1) परिशद का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी कार्यवाही करे, जो वह परा-चिकित्सा विधा और मानकों के अनुरक्षण के समेकित और एकीकृत विकास को सुनिष्ठित करने के लिए ठीक समझे। (2) विविश्टतया और पूर्वगामी षष्ठित की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिशद के कृत्यों में निम्नलिखित होंगे :– (क) रजिस्टर में नामों की प्रविशिट, हटाए जाना या उसकी पुनः प्रविशिट; (ख) परा-चिकित्सा विधा में व्यवसाय करने के लिए व्यक्तियों का रजिस्टर रखा जाना; (ग) परा चिकित्सा विधा, प्राप्तिक्षण, अनुसंधान एवं वृत्तिक आचरण या यथास्थिति परा-चिकित्सा व्यवसायी के सदाचार के मानकों का अवधारण; (घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से दान, अनुदान, संदान, पूर्तदान प्राप्त करना, वसीयतों और संदानों को प्राप्त करना तथा यथास्थिति वसीयतकर्ताओं, दानकर्ताओं या अन्तर्रकर्ताओं से जंगम या स्थावर सम्पत्तियों का अन्तरण; (ङ) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अनुषासनिक षष्ठियों का प्रयोग; (च) ऐसी सभी बातें करना, जो परिशद के सभी या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या आनुशांगिक या सहायक हों।
परिशद के सचिव / रजिस्ट्रार, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति	15.	(1) इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए परिशद, ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए, जो इस नियमित बनाए जाए, एक सचिव / रजिस्ट्रार उत्तरे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, जो वह आवश्यक समझे : परन्तु यह कि परिशद का पहला सचिव / रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा, ऐसे निबन्धनों और षर्तों पर नियुक्त किया जायेगा, जो राज्य सरकार ठीक समझे और वह ऐसा सचिव तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। (2) परिशद द्वारा नियुक्त सचिव / रजिस्ट्रार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी सेवा की ऐसी षर्तों के अधीन होंगे, जो ऐसे पारिश्रमिक के हकदार होंगे, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाए। (3) परिशद द्वारा इस अधिनियम के अधीन तैनात किया गया रजिस्ट्रार या अन्य कोई अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं0 45) की धारा 21 के अर्थात् लोक सेवक समझे जायेंगे।
सचिव / रजिस्ट्रार का परिशद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना	16.	धारा 15 के उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव / रजिस्ट्रार परिशद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।
सचिव / रजिस्ट्रार के कर्तव्य	17.	सचिव / रजिस्ट्रार के कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे विनियमों में अवधारित किए जाये।

परिशद् के आदेषों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन	18.	परिशद् के सभी आदेष और विनिष्ठय अध्यक्ष या इस निमित्त उक्त परिशद् द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जायेंगे और उक्त परिशद् द्वारा जारी सभी अन्य लिखतें मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उक्त परिशद् के किंवा अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जायेंगी।
परा-चिकित्सा पिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति	19.	तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी विष्वविद्यालय या संस्था को राज्य के अन्दर परा-चिकित्सा पिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। राज्य सरकार ऐसी अनुमति ऐसे निर्बन्धनों के अधीन, जो वह आवश्यक समझे, दे सकेगी।
परा-चिकित्सा पिक्षा की अहता घोषित किया जाना	20.	(1) सरकार, परिशद् से परामर्ष करने के पश्चात् समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, किसी विष्वविद्यालय या संस्था द्वारा अनुदत्त पिक्षा को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त अहता के रूप में घोषित कर सकेगी।
	(2)	ऐसा विष्वविद्यालय या संस्था, जिसकी पिक्षा उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है, राज्य सरकार को उसके विनिष्ठय का पुनर्विलोकन करने के लिए आवेदन कर सकेगी :
		परन्तु यह कि राज्य सरकार उपधारा (2) में दिए गए आवेदन को लेखबद्ध कारणों से नामंजूर करे सकेगी।
	(3)	राज्य सरकार, परिशद् से परामर्ष करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए परा-चिकित्सा पिक्षा में विधिलता दे सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को या उससे पहले परा-चिकित्सा व्यवसायी, जिसके अन्तर्गत व्यवसायिक चिकित्सक भी हैं, के रूप में व्यवसाय कर रहे हों।
परा-चिकित्सा पिक्षा के लिए न्यूनतम मानक	21.	परिशद्, विष्वविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा मान्य अहताओं को अनुदत्त करने के लिए, विनियमों द्वारा अपेक्षित परा-चिकित्सा पिक्षा के न्यूनतम मानक अवधारित कर सकेगी।
विष्वविद्यालय या संस्था द्वारा परा-चिकित्सा पिक्षा के संबंध में परिशद् को सूचना भेजा जाना	22.	परा-चिकित्सा पिक्षा प्रदान करने वाला कोई विष्वविद्यालय या संस्था पिक्षा के मानक, पाठ्यक्रम की अवधि, परीक्षा की स्कीम और अन्य अहता पर्ती के, जिनकी परिशद् समय-समय पर अपेक्षा करे, संबंध में परिशद् को सूचना देगा।
निरीक्षकों की नियुक्ति	23.	(1) परिशद्, उतनी संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी, जितनी वह किसी विष्वविद्यालय या संस्था में, उसकी परा-चिकित्सा पिक्षा की मान्यता के सम्बन्ध में ठीक समझे। (2) निरीक्षक – (क) ऐसे किसी विष्वविद्यालय या संस्था का, जो परा-चिकित्सा पिक्षा प्रदान करता है; (ख) किसी अनुमोदित परीक्षा में उपस्थित हो सकेगा; और (ग) किसी ऐसे विष्वविद्यालय या संस्था का निरीक्षण कर सकेगा, जिसने इस अधिनियम के अधीन अपने परा-चिकित्सा पिक्षा के पाठ्यक्रम या परीक्षा की मान्यता के लिए आवेदन किया है और ऐसे विष्वविद्यालय या संस्था के किसी परीक्षा में उपस्थित हो सकेगा। (3) उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों का अनुपालन करते समय कोई निरीक्षक परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु वह परा-चिकित्सा पिक्षा के मानकों की पर्याप्तता के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द, उपस्कर, आवास, प्रणिक्षण और ऐसी परा-चिकित्सा पिक्षा देने के

		<p>लिए अन्य सुविधाएँ हैं या प्रत्येक परीक्षा की अपर्याप्तता, जिसमें वह उपस्थित होता है या कोई विशय, जिसके सम्बन्ध में परिशद् उसे रिपोर्ट देने की अपेक्षा करे, परिशद् को रिपोर्ट करेगा।</p> <p>(4) परिशद्, ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति, विष्वविद्यालय या संस्था को भेजेगी और एक प्रति उस पर टिप्पणियों के साथ, जो उक्त विष्वविद्यालय या संस्था द्वारा किए गए हों, राज्य सरकार को भेजेगी।</p>
मान्यता वापस लिया जाना	24.	<p>जहां परिशद् ने राज्य सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि परा-चिकित्सा पिक्षा का कोई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या कोई अनुमोदित परीक्षा विनियमों के अनुरूप नहीं चल रही है, वहां राज्य सरकार सम्बद्ध विष्वविद्यालय या संस्था को, यथास्थिति, परा-चिकित्सा पिक्षा के पाठ्यक्रम या परीक्षा को दी गई मान्यता को वापस लेने के प्रबंध पर विचार करने के अपने आषय की सूचना देगी और यथास्थिति, उक्त विष्वविद्यालय या संस्था ऐसी सूचना की प्राप्ति से तीन मास के भीतर राज्य सरकार को इस विशय में ऐसा अभ्यावेदन भेजेगी, जो वह उचित समझे। उक्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार विनिष्चिय करेगी और उसका विनिष्चिय अन्तिम होगा।</p>
		अध्याय-3 रजिस्टर
परा-चिकित्सा व्यवसायी का रजिस्टर	25.	<p>(1) परिशद्, एक रजिस्टर रखेगी और इसमें विनियमों द्वारा अवधारित रीति से परा-चिकित्सा व्यवसायियों के नाम दर्ज करेगी।</p> <p>(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो ऐसी परा-चिकित्सा पिक्षा रखता है, जो राज्य सरकार द्वारा धारा 20 के अधीन अधिसूचित की जाए, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने और उससे व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का पात्र होगा।</p> <p>(3) इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति, तब तक व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसका नाम रजिस्टर में दर्ज न कर दिया गया हो :</p> <p style="padding-left: 20px;">परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति का नाम, जो राज्य सरकार द्वारा धारा 20 के अधीन अधिसूचित रूप में परा-चिकित्सा पिक्षा रखता है, रजिस्टर में ऐसी अधिसूचना की तारीख से उसके किसी आवेदन का परिशद् द्वारा निपटान किए जाने तक रजिस्टर में दर्ज किया माना जाएगा, यदि उसने परिशद् को अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए आवेदन ऐसी अधिसूचना के प्रवृत्त होने से छ: माह के भीतर किया हो।</p> <p>(4) ऐसा रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम सं 1 सन् 1872) के अधीन लोक दस्तावेज समझा जायेगा।</p>
रजिस्टर में नाम दर्ज करना	26.	<p>(1) परिशद् किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी फौस के संदाय पर, जो दो हजार रुपये से अधिक न हो अथवा जैसा विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, किए गए आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्टर में उसका नाम दर्ज कर सकेगी, यदि परिशद् का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी परा-चिकित्सा पिक्षा रखता है।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविश्ट किया गया है, यथास्थिति, सम्बन्धित विशय का परा भौतिक, चिकित्सा व्यवसायी या आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला तकनीषियन या विकिरण चिकित्सा तकनीषियन कहलाने का हकदार होगा या भविष्य में राज्य सरकार द्वारा अन्य विधाओं को, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सम्मिलित करे।</p> <p>(3) परिशद् किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज करने से लेखबद्ध कारणों और विनियमों द्वारा अवधारित रीति से इंकार कर सकेगी।</p>
वृत्तिक 'आचारण' और रजिस्टर से नाम का हटाया जाना	27.	<p>(1) परिशद् इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा व्यवसायों के लिए वृत्तिक आचरण और पिश्टाचार तथा सदाचार संहिता के मानक अवधारित करेगी।</p> <p>(2) उपधारा (1) के अधीन परिशद् द्वारा बनाए गए विनियम यह विनिर्दिश्ट कर सकेंगे कि कौन से अधिकमण वृत्तिक अवचार का गठन करते हैं और ऐसे उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि</p>

		<p>में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।</p> <p>(3) परिशद्, किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पञ्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच के पञ्चात्, यदि कोई हो, जो करना ठीक समझे, जहां उसका समाधान हो जाता है, किसी व्यक्ति का नाम धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रखे गए रजिस्टर से आदेष द्वारा हटा सकेगी –</p>
		<p>(क) रजिस्टर में उसका नाम त्रुटि से या दुर्व्यपदेश या सारवान तथ्य को छिपाने के कारण प्रविश्ट किया गया है;</p> <p>(ख) वह किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या वृत्तिक रूप से किसी अवचार का दोशी रहा है या उसने उपधारा (1) के अधीन अवधारित वृत्तिक आचरण या पिश्टाचार या सदाचार संहिता के मानकों का अधिकमण किया है, जो परिशद् की राय में उसके नाम को रजिस्टर में बनाए रखने को अनुचित ठहराते हैं।</p> <p>(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेष यह विनिर्दिश्ट कर सकेगा कि कोई व्यक्ति, जिसके नाम को रजिस्टर से हटाने के लिए आदेष किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो विनिर्दिश्ट की जाए, पात्र नहीं होगा।</p>
अवचार से सम्बन्धित जांचों की प्रक्रिया	28.	<p>(1) जहां परिशद् की, किसी सूचना की प्राप्ति पर या उसे की गई किसी विकायत पर प्रथम दृश्या यह राय है कि कोई परा-चिकित्सक व्यवसायी किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोशी रहा है, वहां परिशद् मामले को धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुषासन समिति को निर्दिश्ट करेगी और तदुपरान्त अनुषासन समिति ऐसी जांच ऐसी रीति से करेगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें और ऐसी जांच के परिणाम की परिशद् को रिपोर्ट करेगी।</p> <p>(2) यदि ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर परिशद् का यह निश्कर्ष है कि परा-चिकित्सा व्यवसायी किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोशी नहीं है तो वह तदनुसार अपना निश्कर्ष उल्लिखित करेगी और यथास्थिति, कार्यवाही फाईल की जाए या विकायत खारिज की जाए, के निर्देष देगी।</p> <p>(3) यदि परिशद्, ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यह पाती है कि यथास्थिति, कोई परा-चिकित्सा व्यवसायी अपनी किसी वृत्तिक प्रतिशठ में किसी अवचार का दोशी है या उसने वृत्तिक आचरण या पिश्टाचार या इस अधिनियम के अधीन विहित सदाचार संहिता के मानदण्डों का अधिकमण किया है, तो वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा 27 की उपधारा (3) और (4) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी।</p> <p>स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए “परा-चिकित्सा व्यवसायी” के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो अभिधित अवचार की तारीख को, यथास्थिति, परा-चिकित्सा व्यवसायी था, भले ही वह जांच के समय उस रूप में न रहा हो।</p> <p>(4) इस धारा के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए परिशद् और उसकी अनुषासन समिति को निम्नलिखित विशयों की बाबत वही घवितयां होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती है; अर्थात् :-</p> <p>(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना तथा षपथ पर उसकी परीक्षा करना;</p> <p>(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसको प्रस्तुत करना; और</p> <p>(ग) षपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।</p>
रजिस्टर में पुनः प्रविश्ट	29.	परिशद्, किसी ऐसे व्यक्ति के नाम को, जिसका नाम धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्टर से स्थायी रूप से नहीं हटाया गया है, किसी आदेष द्वारा, ऐसी रीति से और दो हजार रुपये से अनधिक की ऐसी फीस के संदाय पर तथा ऐसी पर्ती और अपेक्षाओं को पूरा करने के

		पञ्चात्, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, रजिस्टर में पुनः दर्ज कर सकेगी।
परिशद् द्वारा किए गए आदेषों के विरुद्ध अपील	30.	<p>(1) जहां इस अधिनियम के अधीन परिशद् ने :–</p> <p>(क) रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को दर्ज करने के इंकार कर दिया है, या</p> <p>(ख) रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को हटाने का आदेष कर दिया है, वहां ऐसा व्यक्ति परिशद् के आदेष की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा :</p> <p>परन्तु यह कि राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारणों से अपील फाईल नहीं कर सका था तो 30 दिन की समाप्ति के पञ्चात् भी ऐसी अपील ग्रहण कर सकेगी।</p> <p>(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन की गई अपील का निपटारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगी, जो विहित की जाए।</p> <p>(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार का विनिष्चय अन्तिम होगा।</p>
		अध्याय-4 वित्त लेखा और संपरीक्षा
राज्य सरकार द्वारा संदाय	31.	राज्य सरकार विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक विनियोग के पञ्चात् परिशद् को प्रत्येक वित्तीय वर्श में ऐसी धनराषियों का संदाय कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन परिशद् के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझी जाए।
परिशद् की निधि	32.	<p>(1) परिशद् की अपनी स्वयं की निधि होगी और ऐसी सभी राष्ट्रियां, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संदत्त की जाए तथा परिशद् की सभी प्राप्तियां (जिसके अन्तर्गत ऐसी धनराषि भी है, जिसे कोई अन्य प्राधिकारी अथवा कोई व्यक्ति, परिशद् को सौंप सकेगा) निधि में जमा की जायेगी और परिशद् द्वारा सभी संदाय निधि से किए जाएंगे।</p> <p>(2) निधि से सम्बन्धित सभी धन, ऐसे बैंकों में ऐसे रीति से, जो परिशद् द्वारा विनिष्चित किए जाए, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जमा किए जायेंगे और उसमें निहित किये जायेंगे।</p> <p>(3) परिशद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी धनराषियां खर्च कर सकेंगी, जिन्हें वह उचित समझे और ऐसी धनराषियों को परिशद् की निधि में से सदेय व्यय माना जायेगा।</p>
बजट	33.	<p>(1) परिशद् आगामी वित्तीय वर्श की बाबत बजट ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वर्श ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, तैयार करेगी, जिसमें प्राकलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किये जाये।</p> <p>(2) ऐसी बैठक, जिसमें बजट पातिर किया गया हो, के पन्द्रह दिन के भीतर, राज्य सरकार को अग्रेशित किया जायेगा।</p> <p>(3) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उसका इस प्रकार अग्रेशित किए गए बजट के प्राविधान इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं तो वह बजट को उसमें ऐसे उपान्तरण करने के लिए उपाय जैसे कि राज्य सरकार द्वारा सुझाए जाये, परिशद् को वापस कर देगी।</p> <p>(4) परिशद् इस बात के लिए सक्षम होगी कि ऐसी धनराषि का, जो आवश्यक हो, एक धीर्घ से दूसरे धीर्घक और ऐसे धीर्घक और गौण धीर्घकों में पुनर्विनियोग करे।</p> <p>(5) परिशद्, जैसा और जब अपेक्षित हो अनुपूरक बजट, ऐसे प्ररूप में और ऐसे दिनांक तक, जो</p>

		विहित की जाये, पारित कर सकेगी और उपधारा (2), (3), (4) के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक बजट में लागू होंगे।
वार्षिक रिपोर्ट	34.	परिशद्, प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का सही और पूरा लेखा-जोखा दिया जायेगा तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेशित की जाएगी और सरकार उसको विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।
लेखा और संपरीक्षा	35.	(1) परिशद् अपने वार्षिक लेखा बंद करने के पश्चात्, यथापीछा, ऐसे प्ररूप में लेखाओं का विवरण तैयार करेगी और उसे महालेखाकार को ऐसी तारीख तक अग्रेशित करेगी, जो राज्य सरकार उत्तराखण्ड के महालेखाकार के परामर्श से विहित करे। (2) परिशद् के लेखाओं की महालेखाकार द्वारा ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जिन्हें वह उचित समझे, संपरीक्षा कराइ जायेगी। (3) परिशद् द्वारा महालेखाकार या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लेखे तथा उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को वार्षिक रूप में अग्रेशित की जायेगी, जिसे सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।
		अध्याय-5 प्रकीर्ण
कलीनिकल स्थापन द्वारा परा-चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नियोजन पर प्रतिशेष	36.	कोई भी कलीनिकल स्थापन, जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम या स्वास्थ्य देखरेख से सम्बन्ध में अन्य संस्थाएं, किसी व्यक्ति को परा-चिकित्सा व्यवसायी के रूप में तभी नियुक्त करेगी, जब उसका नाम परिशद् के रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया हो।
परा-चिकित्सक व्यवसायी की रिपोर्ट को संज्ञान में न लिया जाना तथा स्वतंत्र व्यवसाय पर प्रतिबन्ध	37.	परा-चिकित्सक व्यवसायी की रिपोर्ट तब तक वैध नहीं समझी जायेगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट को विशेष विषेशज्ञ चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न कर दिया गया हो। परा-चिकित्सा व्यवसायी निजी व्यवसाय स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकेगा।
इस अधिनियम के उपबन्धों के अधिकमण के लिए धार्ति	38.	ऐसा कोई विष्विद्यालय या संस्था का प्राधिकृत प्राधिकारी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी न्यूनतम अवधि छः माह तथा अधिकतम अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।
गैर वृत्तिक द्वारा वृत्तिक के रूप में व्यवसाय करने के लिए धार्ति	39.	ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन परिशद् के रजिस्टर में प्रविश्ट नहीं किया गया है या जिसका नाम प्रविश्ट किया नहीं समझा जाता है और वह, यथास्थिति, परा-चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा है, वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।
प्रमाण-पत्रों आदि का बैर्झमानी से उपयोग करने के लिए दण्ड	40.	कोई व्यक्ति – (1) जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर में अपनी प्रविश्ट का बैर्झमानी से उपयोग करता है; या (2) जो लिखित में अथवा अन्यथा, कोई मिथ्या या कपटपूर्ण घोशणा या अभ्यावेदन करके या प्रस्तुत करके या कराके इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व्यवसाय करने का बैर्झमानी से प्रयास

		<p>करता है; या</p> <p>(3) जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर से सम्बन्धित किसी विशय में स्वैच्छया मिथ्या अभ्यावेदन करता है; या</p> <p>(4) जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और वह, यथास्थिति, परा-चिकित्सक व्यवसायी के रूप में स्वैच्छया व्यवसाय करता है, वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक को सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा और किसी पञ्चात्वर्ती अपराध के लिए दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।</p>
अपराधों का संज्ञान	41.	<p>(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान परिशद् के सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा या परिशद् द्वारा इस निमित्त परिशद् द्वारा साधारण या विषेश आदेष द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, लिखित में किए गए परिवाद पर संज्ञान करेगा, अन्यथा नहीं।</p> <p>(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।</p>
राज्य सरकार द्वारा निर्देश	42.	<p>(1) राज्य सरकार, समय-समय पर परिशद् को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जो सरकार की राय में इस अधिनियम के उददेश्यों की पूर्ति में और उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए सहायक है और वह परिशद् किन्हीं, ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए आबद्ध होगी।</p> <p>(2) उपधारा (1) के अधीन जारी निर्देशों में, कोई विनियम बनाने या पहले से बनाए गए किन्हीं विनियमों में संशोधन करने या उनको प्रतिसंहृत करने के लिए परिशद् को दिए गए निर्देश भी सम्मिलित हैं।</p> <p>(3) यदि राज्य सरकार की राय में, परिशद् ने इस धारा के अधीन जारी किए गए निर्देशों को प्रभावी करने में लगातार व्यतिक्रम किया है तो राज्य सरकार, परिशद् को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर देने के पञ्चात्, आदेष द्वारा परिशद् को विधिटित कर सकेगी और उसके पञ्चात् एक नई परिशद् का ऐसी तारीख से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठन कर सकेगी।</p> <p>(4) जहां राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन परिशद् का विघटन करने वाला कोई आदेष पारित करती है, वहां वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिशद् के गठन के लम्बित रहने तक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को परिशद् के कार्यों का प्रबन्ध ग्रहण करने या ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिश्ट किए जाये।</p>
सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण	43.	इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही या किए जाने के लिए आषायित किसी बात की बाबत कोई बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, परिशद्, परिशद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव या परिशद् के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की षक्ति	<p>44. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।</p> <p>(2) विषिष्टतया पूर्वगामी षक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विशयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा; अर्थात् :</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल करने की रीत; (ख) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा करने के लिए प्रक्रिया; (ग) धारा 33 के अधीन परिशद् का बजट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय; (घ) धारा 34 के अधीन परिशद् की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय; (ङ) धारा 35 के अधीन लेखा बही रखने जाने का प्ररूप और रीति; और (च) कोई अन्य विशय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो, या विहित किया जाए।
विनियम बनाने की षक्ति	<p>45. (1) परिशद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के उपबन्धों को कियान्वित करने के लिए इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।</p>
	<p>(2) विषिष्टतया और पूर्वगामी षक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना से नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विशयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा; अर्थात् :-</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन परिशद् की बैठक व समय, स्थान उसकी प्रक्रिया और गणपूर्णि; (ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन परिशद् के गैर सदस्य सहयोगित करने की रीति और प्रयोजन; (ग) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन किसी समिति की संरचना कालावधि और कृत्य; (घ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन सचिव/रजिस्ट्रार अन्य कर्मचारी, नियुक्ति, सेवा पर्त और पारिश्रमिक; (ङ) धारा 17 के अधीन सचिव—रजिस्ट्रार के कर्तव्यों के लिए विनियम; (च) धारा 20 तथा 21 के अधीन मान्यता प्राप्त अहताएं अनुदत्त करने हेतु विकास के न्यूनतम मानक; (छ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर का अनुरक्षण; (ज) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में नाम की प्रविशि के लिए रीति और फीस का संदाय; (झ) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन नाम प्रविशि करने के इंकार करने की रीति; (ज) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन वृत्तिक आचरण और विश्वाचार तथा सदाचार संहिता के मानदण्ड; (ट) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अनुषासन समिति द्वारा जांच की रीति; (ठ) धारा 29 के अधीन पुनः प्रविशि करने की रीति उसकी फीस का संदाय, पर्त और अपेक्षाएं;

		(ड) परा-चिकित्सा व्यवसायियों में से पांच सदस्यों के निर्वाचन करने की रीति'; और (ढ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की षक्तियां तथा कर्तव्य।
नियमों और विनियमों का विधान सभा में रखा जाना	46.	इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम तथा विनियम बनाए जाने के पछात् यथापीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।
कठिनाईयों को दूर करने की षक्ति	47.	(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेष द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो : परन्तु यह कि ऐसा आदेष इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के बाद जारी नहीं किया जा सकेगा। (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेष किए जाने के पछात् यथापीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।
